



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



24 वैशाख, 1946 (श०)

संख्या - 272 राँची, मंगलवार,

14 मई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

28 फरवरी, 2024

संख्या-5/आरोप(कोर्ट केस)-5-12/2022 का.-21296 (HRMS)--श्री संतोष कुमार गर्ग, झा०प्र०से० (प्रथम बैच, कोटि क्रमांक 15/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाकुड़ियाके विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-683, दिनांक 10.04.2015 के माध्यम से उपायुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, पाकुड़ के पत्रांक-11/मनरेगा, दिनांक 03.01.2015 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध दूरस्थ क्षेत्रीय कर्मचारी को अभिकर्ता बनाने, अभिलेख की कार्रवाई का निरीक्षण नहीं करने एवं बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम-127 का पालन नहीं करने, जाँच दल को गुमराह करने, मनरेगा अधिनियम का उल्लंघन करने एवं अभिलेख संधारण में गड़बड़ियाँ करने से संबंधित आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

2. उक्त आरोपों पर श्री गर्ग द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, पाकुड़ से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-977, दिनांक 31.01.2019 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-102, दिनांक 24.04.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य में श्री गर्ग के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप सं0-1, 2 एवं 3 को सही नहीं प्रतीत होता है, उल्लेख किया गया तथा आरोप सं0-4 एवं 5 को आंशिक रूप से सही प्रतिवेदित किया गया।

3. विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत, विभागीय संकल्प सं0-5660(HRMS), दिनांक 05.06.2020 द्वारा श्री गर्ग के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के आलोक में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अंतर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया।

4. उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री गर्ग द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसके समीक्षोपरांत अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प सं0-2390(HRMS), दिनांक 12.03.2021 द्वारा उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अंतर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक संबंधी अधिरोपित दण्ड को यथावत् रखा गया है।

5. उपरोक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री गर्ग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में WP(S) 5890/2022 संतोष कुमार गर्ग बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.11.2023 को पारित न्यायादेश में विभागीय संकल्प सं0-5660(HRMS), दिनांक 05.06.2020 एवं विभागीय संकल्प सं0-2390(HRMS), दिनांक 12.03.2021 को निरस्त कर दिया गया है, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

" -----8(viii) This is clear case wherein impugned order has been passed without issuing second show-cause notice to the petitioner and without affording him an opportunity of hearing against the inquiry report. Without assigning any reasons in support of differences, the disciplinary authority has differed from the findings of the inquiry report and has passed impugned order unilaterally without appreciating evidence on record and as such the same is fit to be quashed and set aside.

9. In view of the aforesaid facts and circumstances, this Court is of the considered view that petitioner has a good case and the impugned orders are fit to be quashed and set aside. As a sequitur to the aforesaid discussions and considering facts and circumstances of the case, the impugned orders as contained in Memo NO. 5/AAROP-1-32/2015-5660 (HRMS), Dated 05.06.2020 [Annexure-11] and Memo No. 5/AAROP- 1-32/2015-2390 (HRMS)/Ranchi, Dated 12.03.2021 [Annexure-12], are hereby quashed and set aside. The respondents are

directed to grant consequential benefits to the petitioner. Let it be made clear that entire exercise be completed within a period of six weeks from the date of receipt/production of a copy of this order.

10. Resultantly, the writ petition stands allowed."

6. अतः माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.11.2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री संतोष कुमार गर्ग, झांप्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाकुड़ियाके विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-5660(HRMS), दिनांक 05.06.2020 द्वारा अधिरोपित दण्ड एवं उक्त दण्ड के विरुद्ध दायर अपील खारिज करने से संबंधी संकल्प सं०-2390(HRMS), दिनांक 12.03.2021 को रद्द किया जाता है ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SANTOSH KUMAR GARG 20060400014	श्री संतोष कुमार गर्ग, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-15/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाकुड़ियाके विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-5660(HRMS), दिनांक 05.06.2020 द्वारा अधिरोपित दण्ड एवं उक्त दण्ड के विरुद्ध दायर अपील खारिज करने से संबंधित संकल्प सं०-2390(HRMS), दिनांक 12.03.2021 को रद्द किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री संतोष कुमार गर्ग, झांप्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्दु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:20060400057
